न्यूज कार्नर

2 आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के बंधपत्र जमा करने के आदेश

जागरण,खंडवा। क लेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने विभिन्न अपराधों में शामिल 2 आरोपियों को बंधपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश अनुसार आरोपी अनुराग पिता बबलू वर्मा निवासी सोनगर मोहल्ला खण्डवा तथा आरोपी निखिल पिता कै लाश दिवारे निवासी संजय नगर खण्डवा को एक-एक लाख रूपए के बंधपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश अनुसार दोनों अनावेदकों को इस आशय के बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे अगले 1 वर्ष तक किसी भी अपराध में शामिल नहीं होंगे। आरोपी अनुराग वर्मा को थाना कोतवाली खण्डवा में तथा आरोपी निखिल को थाना पदमनगर खण्डवा में अगले एक वर्ष तक हर माह के पहले और आखिरी सोमवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए हैं।

तीन आरोपी जिला बदर

जागरण,खंडवा। क लेक्टर एवं जिला दण्डाधिक ारी ऋषव गुप्ता ने विभिन्न अपराधों में शामिल तीन आरोपियों को जिला बदर क रने के आदेश जारी कि ए हैं। इनमें आरोपी तूफान सिंह पिता जीतसिंह, सिकलीकर निवासी इनपुन थाना मांधाता, आरोपी आबिद उर्फ चिग्गा पिता जाफर निवासी सूरजक ुण्ड खण्डवा तथा आरोपी अक्कू उर्फ सुशील पिता पूनमचंद वर्मा निवासी दादाजी वार्ड, खण्डवा शामिल हैं। इन तीनों आरोपियों को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश अनुसार इस अवधि में ये आरोपी न केवल खण्डवा जिले की सीमा में बल्कि साथ ही पड़ोसी जिलों बुरहानपुर, खरगोन, देवास, बैतूल, हरदा एवं इंदौर जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं क र सके गे। उल्लेखनीय है कि आरोपी तूफ ान सिंह के विरू द्ध धारा 302, 389, 457, 380, सहित विभिन्न धाराओं में लगभग एक दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं। इसी तरह आरोपी आबिद के विरू द्ध जिले के विभिन्न थानों में आर्म्स एक्ट के साथ साथ भारतीय दण्ड विधान की धारा 452, 294, 323, 506, 34, 389, 401, 110 सहित विभिन्न धाराओं में क ुल 32 प्रक रण दर्ज हैं। आरोपी अक्कू उर्फ सुशील के विरू द्ध कुल 23 अपराध जिले के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध हैं। ये प्रकरण भारतीय दण्ड विधान की धारा 506, 323, 307, 456, 452, 341, 110, आबक ारी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा क ानून सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए हैं।

कोतवाली घेराव के बाद हेड कांस्टेबल लाइन अटैच

जागरण,खंडवा। क थित लव जिहाद के मामले को लेकर मंगलवार को हिंदू जागरण मंच ने कोतवाली थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता थाने परिसर में धरने पर बैठ गए और करीब एक घंटे तक नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने फरार युवक की गिरफ्तारी और संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग उठाई। बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानकारी देने पर आंदोलन समाप्त हो गया।

जिला संयोजक माधव झा ने बताया कि 17 जून को कोटवाड़ा रोड स्थित जंगल क्षेत्र में एक युवती और दो युवकों को पकड़ा गया था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। संगठन का आरोप है कि युवकों में शामिल शोएब अली, कोतवाली थाने में पदस्थ हेड क ांस्टेबल इरशाद अली का पुत्र है। शिकायत के बाद पुलिस ने शोएब अली के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया, जबकि दूसरा युवक अब भी फरार है।

संगठन का आरोप था कि फरार युवक की गिरफ्तारी नहीं हो रही और संबंधित पुलिसक र्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। प्रदर्शन के दौरान सीएसपी अभिनव बारंगे ने संगठन के पदाधिक ारियों को हेड क ांस्टेबल को लाइन अटैच कि ए जाने का आदेश दिखाया। उन्होंने बताया कि फरार युवक की तलाश जारी है। इसके बाद प्रदर्शन भी समाप्त कर दिया गया।

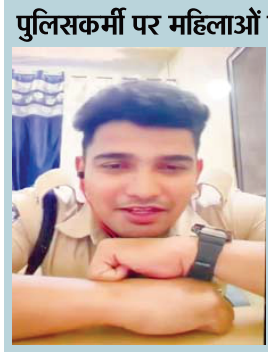
कथित लव जिहाद मामले में हिंदू जागरग मंच का प्रदर्शन,फरार युवक की गिरफ्तारी और पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग



सीएसपी बोले

विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। फरार युवक की तलाश जारी है, जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिसकर्मी पर महिलाओं के शोषग के आरोप, जांच शुरू



खंडवा। शहर में पदस्थ एक पुलिसकर्मी के खिलाफ महिलाओं और युवतियों के कथित शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए अधिक ारियों को शिक ायत सौंपी गई है। शिक ायतक र्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिसक र्मी ने वर्दी और पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं से संपर्क किया तथा उन्हें कथित रूप से दबाव में लिया। शिकायत के साथ क ुछ फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया चैट भी जांच के लिए उपलब्ध कराए जाने का दावा किया गया है। आवेदन में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की तकनीकी जांच कर यह पता लगाने की मांग की गई है कि कहीं किसी महिला को ब्लैकमेल कर उसका शोषण तो नहीं किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र ताणनेकर ने बताया कि संबंधित आरक्षक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। वीडियो और सोशल मीडिया चैटिंग की जांच कराई जा रही है। सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मूलभूत सुविधाओं के लिए भटके रहवासी कॉलोनी की वैधता जांचने की मांग



जागरण,बुरहानपुर। लालबाग क्षेत्र स्थित दुर्गा नगर कॉलोनी के रहवासियों ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और क ॉलोनी निर्माण की वैधता की जांच क राने की मांग की।रहवासियों का आरोप है कि प्लॉट खरीदते समय उन्हें सड़क , बिजली, पानी सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकि न वर्षों बाद भी सुविधाएं नहीं मिल सकीं। शिकायत में बताया गया कि क ॉलोनी में करीब 40 से 50 परिवार निवास कर रहे हैं। इसके बावजूद पेयजल, पक्की सड़क , विद्युत व्यवस्था और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं कि या गया है। रहवासियों का क हना है कि क ई बार संबंधित अधिक ारियों और जिम्मेदार लोगों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ।

कॉलोनीवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि कॉलोनी निर्माण की वैधता की जांच क राई जाए तथा रहवासियों को शीघ्र मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध क राई जाएं, ताकि उन्हें रोजाना होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके।

एसपीओ बनकर ड्यूटी करेंगे कोटवार

जागरण,बुरहानपुर। आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को जिला पंचायत सभागृह में विशेष पुलिस अधिक ारी (एसपीओ) के रूप में नियुक्त कोटवारों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कि या गया। क ार्यक्र म में पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने कोटवारों को उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की जानकारी दी।

एसपी बागरी ने क हा कि कोटवार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी सक्रिय भूमिका से कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। उन्होंने कोटवारों को ईमानदारी, अनुशासन और निष्पक्षता के साथ दायित्व निभाने की समझाइश दी।

प्रशिक्षण के दौरान भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी, अफ वाहों की रोक थाम और आपात स्थिति में पुलिस को तत्क ाल सूचना देने संबंधी निर्देश दिए गए। साथ ही त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करने को कहा गया।

कार्यक्रम में रक्षित निरीक्षक सुनील दीक्षित, थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा, सूबेदार दीपाली यादव सहित पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में कोटवार उपस्थि थे।



कलेक्ट्रेट में रोते-बिलखते पहुंचे फरियादी अधिकारियों के सामने लगाई न्याय की गुहार

जनसुनवाई में फूटा दर्द,जमीन विवाद और वेतन नहीं मिलने पर पीड़ितों का हंगामा

जागरण,खंडवा। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में उस समय भावुक और हंगामेदार स्थिति बन गई, जब अलग-अलग समस्याओं से परेशान तीन पीड़ितों ने अधिक ारियों के सामने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए न्याय की गुहार लगाई। जमीन विवाद और वेतन भुगतान नहीं होने से परेशान फरियादियों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए।

जनसुनवाई में पहुंचे एक बुजुर्ग सहित दो लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों पर विवाद है और फर्जी तरीके से नामांतरण किए जाने के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित अधिकारियों के सामने रोते-बिलखते नजर आए। एक फरियादी ने तो यहां तक कह दिया कि, "साहब, या तो मुझे मेरी जमीन का कब्जा दिला दो या फिर गोली मार दो।" उसकी बात सुनकर क ुछ देर के लिए माहौल गंभीर हो गया।

वहीं क ृषि उपज मंडी में क ार्यरत सुरक्षा क र्मी क ुसुम तिवारी ने भी अधिक ारियों के सामने जमकर हंगामा किया।

क ुसुम तिवारी का आरोप था कि मंडी के अधिकारियों द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और कई महीनों से उनका वेतन भी नहीं दिया गया है। वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाने में परेशानी होने की बात क हते हुए वह भावुक हो गईं और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान वे रोते-बिलखते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करती नजर आईं।

जनसुनवाई के दौरान तीनों मामलों में अधिकारियों ने आवेदन लेकर जांच और नियमानुसार क ार्रवाई क ा आश्वासन दिया। हालांकि पीड़ितों की व्यथा और आक्रोश के बीच व्यवस्था की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में नजर आई।



नर्मदा में नहाने उतरे दिल्ली के युवक की डूबने से मौत

खंडवा। मोरटक्का के पास नर्मदा नदी में नहाने गए दिल्ली के दो युवकों में से एक की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसा मंगलवार को मोरट क्का से करीब तीन कि लोमीट र दूर स्थित त्री त्री रविशंकर आत्रम के पास हुआ।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 17 वर्षीय अजय साहू निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नहाते समय गहरे पानी में चले गए थे। स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि अजय साहू की पानी में डूबने से मौत हो गई।

सूचना मिलते ही मोरटक्का चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निक लवाक र पंचनामा क ार्रवाई क ी। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ओंकारेश्वर भेजा गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है तथा परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

ई-टोकन से बढ़ीं किसानों की मुश्किलें



बैतूल जागरण। किसानों को खाद वितरण के लिए लागू ई-टोक न व्यवस्था अब परेशानी क ा क ारण बनती जा रही है। युवा क ांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष बैतूल प्रितेश गंगारे ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और तत्क ाल ऑफलाइन व्यवस्था लागू क रने की मांग की।

ज्ञापन में बताया गया कि तक नीकी बाधाओं, इंटरनेट की समस्या और सर्वर डाउन रहने के कारण किसानों को समय पर टोकन नहीं मिल पा रहे हैं। घंटों क तार में खड़े रहने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को डिजिटल प्रक्रि या क ी जानक ारी सीमित होने से दिक्कतें बढ़ रही हैं। प्रितेश गंगारे ने क हा कि खरीफ सीजन में खाद क ी उपलब्धता सुनिश्चित क रना सरक ार क ा प्राथमिक जिम्मेदारी है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जितेन्द्र इवने, राकेश गंगारे, राहुल परते, मुकेश यादव और लोकेश रावत उपस्थित रहे।ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि वर्तमान खरीफ सीजन में किसानों के लिए समय पर खाद उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ई-टोकन व्यवस्था सुविधा के बजाय परेशानी का कारण बनती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक ांश कि सानों को डिजिटल प्रक्रि या की पर्याप्त जानकारी नहीं होने से अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। टोकन प्राप्त करने के लिए किसानों को बार-बार समितियों और सेवा के ंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनक ा समय और आर्थिक संसाधन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। युवा क ांग्रेस ने मुख्यमंत्री से कि सानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान ई-टोकन व्यवस्था को तत्काल समाप्त क र पूर्व क ी भांति ऑफ लाइन व्यवस्था के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके ।

एमराल्ड हाईट्स के प्लाट नंबर 13/3 में रेत डंप का मामला पकड़ रहा तूल

रेत डंप को लेकर शिकायत खनिज विभाग करेगा जांच

बैतूल जागरण। जिला जेल के समीप नजूल शीट क्रमांक 12 के प्लाट क्रमांक 13/3 पर कि ए गए रेत भंडारण क ो लेक र विवेक ानंद निवासी आशीष शर्मा ने क लेक्टर क आवेदन सौंपक र रेत डम्प की अनुमति को नियम विरु द्ध बताते हुए इसकी जांच क र वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि संबंधित स्थल पर एक हजार घनमीटर से अधिक रेत का भंडारण किया गया है, जबकि इसके लिए दी गई अनुमति नियमों के अनुरू प नहीं है।शिक ायतक र्ता के अनुसार अन्नपूर्णा नामक कंपनी को पहले से ही जेल निर्माण सहित अन्य शासकीय निर्माण क ार्यों के लिए क ढ़ाई स्थित निर्माण स्थल पर रेत भंडारण की अनुमति प्राप्त है। आरोप है कि कंपनी ने शासकीय निर्माण कार्यों का हवाला देते हुए हाउसिंग बोर्ड के एसडीओ से सांठगांठ कर करीब एक वर्ष पूर्व पत्र प्राप्त किया और उसके आधार पर नजूल शीट क्रमांक 12 के प्लाट क्रमांक 13/3 पर रेत भंडारण की अनुमति हासिल की।



नियमों की अनदेखी

आवेदन में यह भी कहा गया है कि संबंधित प्लाट पर कंपनी द्वारा कॉलोनाइजिंग से जुड़े निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसके लिए नियमानुसार अधिकतम 50 घनमीटर रेत भंडारण की ही अनुमति मिल सकती है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी ने अपने अन्य शासकीय निर्माण कार्यों का हवाला देकर खनिज विभाग को गुमराह किया और अधिक मात्रा में रेत भंडारण की अनुमति प्राप्त कर ली, जो सीधे तौर पर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। आशीष शर्मा ने क लेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित अनुमति निरस्त करने तथा दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। खनिज अधिकारी मनीष पालेवार का क हना है कि प्राप्त शिक ायत पर जांच क राई जाएगी। वहीं एमराल्ड हाईट्स का कोई भी संपर्क सूत्र सार्वजनिक न होने से उनसे संपर्क क र उनका पक्ष नहीं लिया जा सका।

जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

मुलताई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए नगरपालिका अध्यक्ष नीतू प्रहलाद सिंह परमार एवं सभापति शिल्पा शर्मा सहित भजपाइयो ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बलिदान दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में अध्यक्षनीतू प्रहलाद सिंह परमार, सभापति शिल्पा मनीष शर्मा,जनप्रतिनिधियों एवं नगर पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपस्थित सभी जनों ने डॉ. मुखर्जी के राष्ट्रहित, एकता, अखंडता एवं जनसेवा के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन उनके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करते हुए किया गया।

हिन्दू साम्राम्य स्थापना दिवस पर 27 को निकलेगी शोभायात्रा

मुलताई। जयेष्ट माह की शुक्ल त्रयोदशी को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक और हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ था जिसके चलते नगर में सकल हिन्दू समाज द्वारा शनिवार को हिन्दू साम्राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा हिन्दू संगठन के डॉ राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया भगवा के अनन्य उपासक शिवाजी महाराज रणनीति ,कूटनीति में माहिर होने के साथ निषेधक और हिंदुओं की घर वापसी के समर्थक थे ।स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था शिवाजी महाराज से बड़ा कोई नायक नहीं शिवाजी महाराज मनोवैज्ञानिक युद्ध कौशल, सामाजिक चुनौतियों का सामना ,युद्ध नीति सर्जिकल स्ट्राइक ,घर वापसी भारतीय नौसेना के जनक , भगवा ध्वज और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा ये सभी बातें शिवाजी को जन-जन के नायक बनती है।

कार्यालय जनपद पंचायत मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)
Ph. 07147-220266, E-Mail. jpmulbet@mp.nic.in, Fax No. 07147-220266

क्र./लेखा/मनरेगा/2026/2633 मुलताई दिनांक 23/6/2026

वाहन किराये पर लेने हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी योजनांतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुलताई को मासिक किराये पर वाहन (जीप) अच्छी कंडीशन (दो वर्षों से अधिक पुराना वाहन न हो) एवं आर टी ओ से पंजीकृत जी.एस.टी रजिस्ट्रर्ड वाहन किराये पर लेना है। इच्छुक वाहन मालिक निविदा फार्म राशि 200 रु. में दिनांक 24.06.2026 से दिनांक 29.06.2026 तक प्रात: 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक कार्यालय जनपद पंचायत मुलताई से प्राप्त/क्रय कर सकते हैं। एवं निविदा फार्म दिनांक 30.06.2026 को समय दोप. 12:00 बजे तक जमा किया जावेगा । एवं दिनांक 30.06.2026 को समय दोप. 01:00 निविदाताओ के समक्ष खोला जायेगा। वाहन किराये से लेने हेतु शर्त कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय मे कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत मुलताई

जादू टोने के शक में 12 वर्षीय बालक की हत्या कर शव बोरी में बंद कर गहरी खाई में फेंका

मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम ताईखेड़ा में मृतक की मां पर जादू टोने का शक होने पर उसके 12 वर्षीय पुत्र को 2 आरोपियों द्वारा अगवा कर लोहे की राड से मारपीट कर हत्या कर दी एवं साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को बोरी में बंद कर बाइक से ले जाकर सालई ढाना के पास गहरी खंती नाले में फेक दिया।जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह मुलताई मासोद मार्ग पर चक्का जाम क र दिया था,सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देते हुए आरोपियों के खिलाफ के खिलाप हत्याअपहरण क ा क ेस दर्ज क र गिरफ्तार क रने जानकारी देने के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया ।टीआई विकास पटेल ने बताया ग्राम ताईखेड़ा से बीते 20 जून से अंकुश पिता सद्दू आहके 12 वर्ष लापता था। 22 जून को फरियादिया संगीता पति सद्दू आहके, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम ताईखेड़ा ने थाने में रिपोर्ट लिखाई की उसका 12 वर्षीय नाबालिग पुत्र अंकुश आहके 20 जून की दोपहर लगभग 3 बजे से लापता है। फरियादिया ने बताया ताईखेड़ा के ही सुदामा पिता मोहन इनवाती ने उसके बेटे अंकुश अहाके को खेलने के बहाने घर से अपने साथ ले जाना बताया था। जिसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। रिपोर्ट पर थाना मुलताई में धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपहरण का प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ क रते हुए वरिष्ठ अधिक ारियों जानक ारी देने पर पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन, एसडीओपी एसके सिंह के निर्देशन में थाना प्रभारी मुलताई विकास पटेल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर संभावित ठिकानो पर तलाश की वहीं संदेही सुदामा पिता मोहन इनवाती, उम्र 18 वर्ष 3 माह, निवासी ताईखेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सुदामा ने बताया उसने अपने साथी राकेश पिता रमेश उइके उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम ताईखेड़ा थाना मुलताई के साथ मिलकर अंकुश को लोहे की रॉड से पीटा, दोनों को मृतक की मां पर जादू टोना करने का संदेह था। इसी संदेह के चलते उन्होंने 20 जून को दोपहर करीब 12 बजे अंकुश को घर से बुलाकर अपने साथ खेत में ले गए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने लोहे की रॉड से हमला कर रस्सी से गला दबाकर अंकुश की हत्या कर दी एवं साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को बोरी में बांधकर ग्राम सालईढाना के जंगल में गहरी खाई के नाले में फेंक दिया।पुलिस द्वारा दोनों आरोपी सुदामा पिता मोहन इनवाती एवं राकेश उइके को गिरफ्तार किया,राकेश द्वारा भी अपराध स्वीकार करते हुए शव छिपाने के स्थान की जानकारी दी गई। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने ग्राम सालईढाना के जंगल में नाले से बोरी में बंधा शव बरामद किया, जिसकी पहचान मृतक अंकुश आहके के रूप में उसके परिजनों द्वारा की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान हत्या के साक्ष्य मिलने पर धारा 103(1), 3(5) बीएनएस का इजाफा किया गया। आरोपी राकेश उइके एवं सुदामा पिता मोहन इनवाती को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।



पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
मंडल कार्यालय, वसूली विभाग
अरेरा हिल्स, भोपाल, फोन : 0755-2550020
ईमेल: cobplsamd@pnb.co.in

आधिपत्य सूचना (स्थावर संपत्ति) [परिशिष्ट -IV के अन्तर्गत नियम-8 (1)]

सेक्यूरीटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत और सिक्यूरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के साथ पठित सेक्शन 13 (12) नियम 3 के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत **पंजाब नैशनल बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/ जमानतदारों को डिमांड नोटिस **दिनांक 26/03/2026** एवं नोटिस में दर्शायी गई निम्न वर्णित राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए जारी किया गया था । उधारकर्ता राशि चुकाने में असफल रहा है, उधारकर्ता एवं जमानतदार/संपत्ति मालिक द्वारा उधारकर्ताओं/जमानतदारों एवं जनसामान्य को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने धारा13 की उपधारा 4 के नियम 8 के तहत उन्हें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यहां नीचे वर्णित संपत्तियों का कब्जा **दिनांक** 19/06/2026 को ले लिया है। उधारकर्ता एवं जमानतदार / संपत्ति मालिक को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यत: एतद द्वारा निम्नलिखित संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिए **पंजाब नैशनल बैंक** के अधीन होगा। उधारकर्ताओं / जमानतदार / बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) में निहित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के प्रावधान की ओर आमंत्रित है ।

ऋणी /उधारकर्ता/ जमानतदार का नाम	कब्जा की गई सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
1. श्रीमती रश्मी पांडे पत्नी श्री राकेश कुमार पांडे 2. श्री राकेश कुमार पांडे पुत्र श्री नरेंद्र पांडे दोनों का पता : पावर ग्रिड एनटीपीसी के पास, पथरोटा, तहसील इटारसी, जिला -नर्मदापुरा (म.प्र.) 461445	बंधक भूमि का समस्त हिस्सा खसरा नं. 52/2 (म्यूटेशन के बाद 52/73) का भाग, मौजा-पथरोटा, पटवारी हल्का नं. 20, बही नं. 169, तहसील-इटारसी , जिला-होशंगाबाद (म.प्र.) , क्षेत्रफल 20*50=1000 वर्ग मीटर (लगभग 92.96 वर्ग मीटर) । सीमाएँ : पूर्व -श्री पवन चौकसे का प्लाट , पश्चिम -प्रकाश तिवारी का प्लाट, उत्तर -विक्रेता द्वारा अपनी भूमि पर छोड़ी गई रोड, दक्षिण- श्रीमती सुखावती मेहरा का प्लाट , संपत्ति मालिक : श्रीमती रश्मी पांडे पत्नी श्री राकेश पांडे	₹ 9,31,193.00 + अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य खर्च नोटिस दिनांक 26-03-2026 कब्जा दिनांक 19-06-2026

वैधानिक सूचना: ऋणी एवं जमानतदारों को सूचित (**Noticed**) किया जाता है कि इस नोटिस के छपने की तारीख के 30 दिनों के अंदर उपरोक्त राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं खर्चों का भुगतान कर देवें अन्यथा उक्त वर्णित संपत्ति की नीलामी कर दी जावेगी तथा उसके बाद शेष ऋण एवं ब्याज की वसूली खर्चे सहित ऋणी एवं जमानतदारों से की जावेगी।

दिनांक: 19/06/2026, स्थान: भोपाल **प्राधिकृत अधिकारी** , पंजाब नैशनल बैंक